

16/3/16 वकील प्रायो एव प्रायो लक्ष्म अनुपरिष्ठात । अद्योर्षि
की ओर से कोई उपरिष्ठात नही । वकील प्रायो एव प्रायो को 5
बेज अदालत उठने तक आवेक दिलाई गई । परन्तु उनकी
ओर से कोई भी अदालत उपरिष्ठात नही आया अतः प्रकरण
अदम एजिरी अदम केरकी मे खारिज किमा जात है । पत्रावली
फैसल शुमार लेकर नम्बर से फम है । बाद तकगी
दफतर दारिबल है ।

Subhash Chandra Mishra
मसुदा (अजमेर)

